न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज हजारी .... बनाम .... कान्हा मु.नं. 39/24 T.A.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया है। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। वकील वादी ने प्रा.पत्र 7.8 पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र 7.8 पर वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र 7.8. दिनांक 19.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
19.6.25	पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सके। पत्रावली प्रकरणानुसार दिनांक 24.7.25 को पेश हो।	
24.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39/2024	24.06.2024	24.07.2025

बउनवान

1. हजारी पुत्र काडू, निवासी ईसरीखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. काडू पुत्र नारायण, निवासी नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. किशोर पुत्र नारायण, निवासी नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. बाबूलाल पुत्र नारायण, निवासी नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. लालजी पुत्र नारायण, निवासी नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. विशन्या पुत्र नारायण, निवासी नांगल चारण, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
7. उपपंजीयक मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिह गुर्जर।
2. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5.

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 261 खसरा सं. 1283 रकबा 0.26 हैक्टे., 1284 रकबा 0.24 हैक्टे., कुल किता 2, कुल रकबा 0.50 हैक्टे. वाके ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारे अनुसार, विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 1/10 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकोर्ड है। विवादग्रस्त भूमि को विधिवत सरस निरस के अनुसार मौके पर बांट रखा है। उक्त भूमि मुझ प्रथम पक्ष के पिताजी ने करीब 50 वर्ष पूर्व खरीदी थी जो मुझे विरासत से मिली है। प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि को मेहनत कर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन भूमि का तकास्मा नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कम–ज्यादा को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। ऐसी सूरत में विवादग्रस्त आराजी को कब्जे अनुसार व सरस निरस कर विवादग्रस्त भूमि का अलग खाता

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कायम किया जाकर पास बुकें जारी की जावे। प्रार्थी एवं गैरसायल सं. 1 लगायत 5 मनबंट के आधार पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु अप्रार्थीगण डोल–मेड को तोडते रहते है जिनसे मना किया तो नहीं मानते हैं। जब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि सभी मिलकर बंटवारा करा लेते हैं परन्तु अप्रार्थीगण ने तहसील चलकर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया। दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी अपनी पैतृक आराजी पर फसल की देखभाल करने व आगामी फसल की तैयार करने गये थे तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 पूर्व से ही आमादा थे। जब प्रार्थी ने कहा था कि आपने डोलमेढ तोड–तोड कर मेरे हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द कर अपने हिस्से में मिला लिया है तो अप्रार्थीगण ने कहा हम तो इसी तरह से डोलमेढ तोडेगें तो प्रार्थी ने कहा कि भाई तहसील चलकर बंटवारा करा लेते हैं परन्तु अप्रार्थीगण नाराज हो गये, हम तो बंटवारा नही करायेगें और हम तो डोल मेढों को तोडेगें और तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो इस भूमि का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान कर देगें। अप्रार्थीगण की इस प्रकार की ऐलानिया धमकी से प्रार्थी को अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थीगण चालाक किस्म के रिर्सोसफुल व्यक्ति हैं। अप्रार्थीगण आये दिन डोल मेढों को तोडकर अपने खेतों को बढाते रहते है और प्रार्थी की जमीन को हडपना चाहते हैं। अप्रार्थीगण अपने नापाक मन्सूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। प्रार्थी अपनी पैतृक आराजी में निहित हक हकूकों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा जिसकी पूर्ति इन्टर्म ऑफ मनी किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण खिलाफ पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2024 की अप्रार्थीगण द्वारा डोलमेड तोडने एवं तकास्मा नहीं कराने की ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम हल्दैना तहसील महवा जिला दौसा में पैदा हुआ है। अतः अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 को ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट, मदाखलत, मजाहमत ना तो स्वयं करें और नाही किसी दीगर व्यक्तियों से ही करावे, बिना तकास्मा कराये रहन बय मुन्तकिल नही करें, डोलमेढ नही तोडे। मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.06.2024 जारी की गयी कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा सं. 1283, 1284 वाके ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के वर्तमान मौके तथा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थी सं. 6 लगायत 7 न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु उनके द्वारा न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम हल्दैना तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, वादग्रस्त आराजी में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो मौके पर विवाद बढना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर डोलमेढ तोड कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि को खुर्द–बुर्द कर अप्रार्थीगण के हिस्से में मिलाकर मौके की स्थिति में बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1283, 1284 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 24.06.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, विवादित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट, मदाखलत, मजाहमत ना तो स्वयं करें और नाही दीगर व्यक्तियों से ही करावे, बिना तकास्मा कराये रहन बय मुन्तकिल नही करें, डोलमेढ नही तोडे। मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)